



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 (PHALGUNA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2023

संख्या 06/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, पैराग्राफ 3 में, व्याख्या में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(ivक) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।”।

2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2023 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 1st March, 2023

No. 06/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions shall be treated as an ‘educational institution’ for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 2023.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 (PHALGUNA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2023

संख्या 07/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, व्याख्या में, खंड (ज) में, "और राज्यों के विधान मंडल" शब्दों के स्थान पर, "राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और अधिकरणों" चिह्न और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2023 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2023

No. 07/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Explanation, in clause (h), for the words “and State Legislatures”, the signs and words, “, State Legislatures, Courts and Tribunals” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 2023.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 (PHALGUNA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2023

संख्या 08/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(i) अनुसूची I-2.5% में, क्रम संख्या 91क के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो” ;

(ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् -

“186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स”;
-------	------	--------------------

(iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, खाना 3 के नीचे, अंत में, “[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2023 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2023

No. 08/GST-2.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (i) in Schedule I –2.5%, against serial number 91A, under column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;

- (ii) in Schedule II–6%, after serial number 186 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“186A	8214	Pencil sharpeners”;
-------	------	---------------------

- (iii) in Schedule III –9%, against serial number 302A, under column 3, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted at the end.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 2023.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 (PHALGUNA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2023

संख्या 09/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (ii) और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“(iii) राब, उनसे भिन्न जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो”;

2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2023 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2023

No. 09/GST-2.-In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.36/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Schedule, against serial number 94, under column 3, after item (ii) and the entries thereagainst, the following item and entry thereagainst shall be inserted, namely: -

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labelled”;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 2023.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 10/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में, पांचवे परंतुक में,—

- (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि पंजीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी प्रथम अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की राशि जो 250 रुपये से आधिक है अधित्यजित हो जाएगी और जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल राशि शून्य है पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी।”।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 10/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, in the fifth proviso,-

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of State tax payable in the said return is nil, for the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March 2019 or for the Financial years from 2019-20 to 2021-22 by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30thday of June, 2023.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 11/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, पंजीकृत व्यक्ति, जिनका पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को पंजीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो ऐसे पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्:-

- (क) पंजीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है;
- (ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, पंजीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तिथि तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय राशि का ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए भुगतान योग्य राशि सहित, भुगतान करने के बाद ही फाइल किया जाएगा;
- (ग) पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऐसे मामलों में और समय अवधि विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

व्याख्या — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी पंजीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन पंजीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय अवधि का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 11/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely:—

- (a) the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;
- (b) the application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;
- (c) no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

Explanation:- For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section (1) of section 30 of the said Act.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 12/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तिथि 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के प्रवर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे पंजीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अर्थात्:-

- (i) पंजीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे ;
- (ii) विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतान योग्य विलंब फीस के साथ होगी,

यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील, यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 12/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28th day of February, 2023 under sub-section (1) of section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely;-

- (i) the registered persons shall furnish the said return on or before the 30th day of June 2023;
- (ii) the return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of section 50 of the said Act and the late fee payable under section 47 of the said Act,

irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 13/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित पंजीकृत व्यक्तियों के प्रवर्गों, जो देय तिथि पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की राशि को अधित्यक्त करते हैं, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में यथाविनिर्दिष्ट राशि से अधिक है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे पंजीकृत व्यक्ति, जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए तक है।	राज्य में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रति दिन।
2.	ऐसे पंजीकृत व्यक्ति, जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	राज्य में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रतिदिन।

परन्तु पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किन्तु प्रथम अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में भुगतान योग्य विलंब शुल्क की कुल राशि का अधित्यजन कर दिया जाएगा, जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 13/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby waives the amount of late fee referred in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

Table

Serial Number	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent of turnover in the State.
2.	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the relevant financial year.	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent of turnover in the State:

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 14/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों, जो नियत तिथि तक प्ररूप **जीएसटीआर-10** में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी प्रथम अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की राशि का, जो 500 रुपये से अधिक है, अधित्यजन करते हैं।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 14/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby waives the amount of late fee referred in section 47 of the said Act, which is in excess of five hundred rupees for the registered persons who fail to furnish the final return in **FORM GSTR-10** by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10337—C.S.—H.G.P., Pkl.

(930)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 15/जीएसटी-2- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 43/जीएसटी-2, दिनांक 07 मई, 2020 तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 19/जीएसटी-2, दिनांक 21 मई, 2021 तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52/जीएसटी-2, दिनांक 23 अगस्त, 2022 का आंशिक उपांतरण करते हुए, इसके द्वारा, नीचे यथा विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए आदेश जारी करने हेतु धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात् :—

- (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक;
- (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;
- (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 15/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter called the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) and in partial modification of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 43/GST-2, dated the 7th May, 2020 and Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 19/GST-2, dated the 21st May, 2021 and Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 52/GST-2, dated the 23rd August, 2022, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2017-18, up to the 31st day of December, 2023;
- (ii) for the financial year 2018-19, up to the 31st day of March, 2024;
- (iii) for the financial year 2019-20, up to the 30th day of June, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 84-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 9, 2023 (VAISAKHA 19, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2023

संख्या 16/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप मद (ख) में, खाना (5) की प्रविष्टि के नीचे, शर्त (2) में,-

- (i) द्वितीय परन्तुक में, "।" के स्थान पर, "।:" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विकल्प का प्रयोग 31 मई, 2023 को या उससे पूर्व किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेन्सी जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है, तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग, जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने की तिथि से पैंतालीस दिन की समाप्ति से पहले या पंजीकरण प्राप्त हो जाने की तिथि से एक मास की अवधि, जो भी बाद में हो, अनुबंध V में, घोषणा करके कर सकता है।"

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th May, 2023

No. 16/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entire under column (5), in condition (2),-

- (i) in the second proviso, for the sign “.”, the sign “:” shall be substituted;
- (ii) after the second proviso, the following provisos shall be added, namely:-

“Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a Goods Transport Agency who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 97-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 31, 2023 (JYAISTHA 10, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मई, 2023

संख्या 17/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में, प्रथम पैरा में, प्रथम अगस्त, 2023 से, "दस करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच करोड़ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st May, 2023

No. 17/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-rule (4) of rule 48 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, in the first paragraph, for the words "ten crore rupees", the words "five crore rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of August, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10397—C.S.—H.G.P., Pkl.

(1314)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 33/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(अ) सारणी में,—

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (iड) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्: —

“व्याख्या — यह मद सारणी की क्रम संख्या 3 के सामने मद (iv), (v) और (vi) की उन उप-मदों को संदर्भित करती है जो अधिसूचना संख्या 38/जीएसटी-2, दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा उनके लोप होने से पूर्व अधिसूचना में विद्यमान थी”;

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, खाना (5) के नीचे, शर्त (2) में, —

(क) “उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) चौथे परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

“परन्तु यह और कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान इसके द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के लिए प्रयोग किया गया विकल्प अगले और भावी वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के तहत वापसी के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।”;

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, खाना (3) के नीचे, मद (i) में, खंड (i) में, व्याख्या के उप-खंड (ज) का लोप किया जाएगा।

(2009)

(आ) अनुबंध V में,—

- (i) पैरा 2 में, “जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा” शब्दों के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक वैध रहेगा जिसके लिए मैं नियत तिथि को या से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूँ” शब्द और चिह्न, प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) टिप्पण में, “किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(इ) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

“अनुबंध VI

प्ररूप

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्ररूप।

संदर्भ संख्या —

तिथि: —

1. मैं/हम _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुबंध V (दिनांक _____) को भरकर, हमारे द्वारा प्रदाय किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था;
2. मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज मकैनिज्म को रिवर्ट करना चाहता हूँ;
3. मैं समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से इसे एक वर्ष की अवधि के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक मान्य रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

कानूनी नाम : —

जीएसटीआईएन :—

पैन संख्या :—

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :—

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :—

जीटीए का पूरा पता :—

(अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

टिप्पण: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रथम जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक किया जाएगा।”।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2023

No. 33/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (A) in the Table,
- (i) against serial number 3, under column (3), in item (ie), the following explanation shall be inserted, namely:-
“*Explanation.* –This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission vide notification No. 38/GST-2, dated the 18th July, 2022”;
- (ii) against serial number 9, under column (3), in item (iii), in sub-item (b), under column (5), in condition (2), -
- (a) for the words, figures and letters “on or before the 15th March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letters “on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”, shall be substituted;
- (b) after the fourth proviso, the following proviso shall be added, namely:-
“Provided further that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.”;
- (iii) against serial number 24, under column (3), in item (i), in clause (i), sub-clause (h) of the explanation shall be omitted.
- (B) in Annexure V,-
- (i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date”, shall be substituted;
- (ii) in the Note, for the words, figures and letters “ The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than the 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;
- (C) after Annexure V, the following annexure shall be inserted, namely:-

“Annexure VI

FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorized representative of M/s..... had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year.....under forward charge by filing Annexure V on

2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year.....;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name : -

GSTIN : -

PAN No. : -

Signature of Authorized representative : -

Name of Authorized Signatory : -

Full Address of GTA : -

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 34/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 19ग के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(3)
“ सेटेलैइट प्रक्षेपण सेवाएं।”।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 27th July, 2023

No. 34/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 19C, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

(3)
“Satellite launch services.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 35/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुबंध III में, "मैंने/हमने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।" शब्दों के स्थान पर, "मैंने/हमने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष _____ से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।" शब्द, चिह्न और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 27th July, 2023

No. 35/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, in Annexure III, for the words “I/we have taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of Goods Transport Agency in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”, the words “I/we have taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of Goods Transport Agency in relation to transport of goods supplied by us from the Financial Year _____ under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism.”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 36/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

क अनुसूची I-2.5% में,

- (i) क्रम संख्या 99क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्सट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

- (ii) क्रम संख्या 108 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)
"108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

- (iii) क्रम संख्या 156क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंग-डोनविट्ज (एलडी) स्लैग";

- (iv) क्रम संख्या 218क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	नकली जरी धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है";

(2017)

- ख. अनुसूची 11-6% में, क्रम संख्या 137 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
- “(i) कपड़ा धागे के साथ संयुक्त असली जरी धागा (सोना) और चांदी का धागा (ii) नकली जरी धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है—से भिन्न कपड़े का सूत, या पट्टी होते हुए या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ धातुयुक्त सूत, चाहे जिम्ड हो या नहीं”;
- ग. अनुसूची 111 - 9% में,-
- (i) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) के नीचे, शब्दों “टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों” शब्दों के स्थान पर, “टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों” शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 28 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
- “लिंग-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैग, ड्रांस (दानेदार स्लैग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग।”।
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2023

No. 36/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

A. in Schedule I -2.5%,

- (i) after serial number 99A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"99B	1905	Un-fried/Un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion";

- (ii) after serial number 108 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"108A	2309	Fish soluble paste";

- (iii) after serial number 156A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"156B	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag ";

- (iv) after serial number 218A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"218AA	56050020	Imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance";

- B. in Schedule II-6%, against serial number 137, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, other than- (i) real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread (ii) imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance”;

- C. in Schedule III-9%,

- (i) against serial number 16, under column (3), for the words “toasted bread and similar toasted products”, the words and signs “toasted bread and similar toasted products, un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion” shall be substituted;
- (ii) against serial number 28, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
“Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag”;

2. This notification shall come into force on the 27th day of July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 37/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में,—

- (A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, "पैराग्राफ 4.41" वाक्यांश के स्थान पर, "पैराग्राफ 4.40" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (B) व्याख्या में, खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
- (क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय है, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 1/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित और का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित "विदेश व्यापार नीति, 2023;
- (ख) "हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय है, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2023, फा.सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी सेल, प्रथम अप्रैल, 2023 द्वारा असाधारण, भाग I, खंड 1 में अधिसूचित "हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स;" ।
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2023

No. 37/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018,-

- (A) in the opening paragraph, for the phrase “paragraph 4.41”, the phrase “paragraph 4.40”, shall be substituted;
- (B) in the Explanation, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely: —
- (a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No. 1/2023, dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 1565 (E) dated the 31st March, 2023;
- (b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 01/2023, dated the 1st April, 2023, Extraordinary, Part-I, section 1 *vide* F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell, dated the 1st April, 2023;
2. This notification shall come into force on the 27 July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 139-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 7, 2023 (SRAVANA 16, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2023

संख्या 38/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में, छठे परंतुक में, "30 जून, 2023" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "31 अगस्त, 2023" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2023

No. 38/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, in the sixth proviso, for the figures, words and sign “30th day of June, 2023”, the figures, words and sign “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 139-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 7, 2023 (SRAVANA 16, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2023

संख्या 39/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 11/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 11/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में, "30 जून, 2023" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "31 अगस्त, 2023" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2023

No. 39/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 11/GST-2, dated the 24th April, 2023, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 11/GST-2, dated the 24th April, 2023 for the figures, words and sign “30th day of June, 2023”, the figures, words and sign “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 139-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 7, 2023 (SRAVANA 16, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2023

संख्या 40/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में, "30 जून, 2023" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "31 अगस्त, 2023" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2023

No. 40/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 12/GST-2, dated the 24th April, 2023, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 12/GST-2, dated the 24th April, 2023, for the figures, words and sign “30th day of June, 2023”, the figures, words and sign “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 139-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 7, 2023 (SRAVANA 16, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2023

संख्या 41/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 13/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 13/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में, परन्तुक में, "30 जून, 2023" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "31 अगस्त, 2023" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2023

No. 41/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 13/GST-2, dated the 24th April, 2023, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 13/GST-2, dated the 24th April, 2023, in the proviso, for the figures, words and sign “30th day of June, 2023”, the figures, words and sign “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 139-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 7, 2023 (SRAVANA 16, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2023

संख्या 42/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 14/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 14/जीएसटी-2, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 में, "30 जून, 2023" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "31 अगस्त, 2023" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2023

No. 42/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 14/GST-2, dated the 24th April, 2023, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 14/GST-2, dated the 24th April, 2023, for the figures, words and sign “30th day of June, 2023”, the figures, words and sign “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.